2022/5

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्रीमती लीलादेवी आदिवाल पत्नि श्री नानूराम
निवासी मांचगांव नगरपालिका वार्ड नं. 11
लीला निवास, सरकारी बस स्टैण्ड के पीछे
आबूपर्वत जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिक
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 76 वर्ष 202

<table>
<tr><th>दिनांक हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</th><th>नम्बर व तारीख जो इस हुक्म के तामिल में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>10.11.2022</td><td>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 09.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा भूखण्ड खसरा नं. 226 ग्राम मांचगांव आबूपर्वत के लिए दिनांक 16.03.1882 को 673.73 रूपए जमा करने का चालान के साथ लैण्ड कन्वर्जन/भूमि रूपान्तरण के लिए उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत में फाईल लगाई थी। उक्त फाईल को उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत द्वारा रिजेक्ट करने का लिखित रूप से आधार बताते हुए भूमि शाखा के रिकॉर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 09.09.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा भूखण्ड खसरा नं. 226 ग्राम मांचगांव आबूपर्वत के लिए दिनांक 16.03.1882 को 673.73 रूपए जमा करने का चालान के साथ लैण्ड कन्वर्जन/भूमि रूपान्तरण के लिए उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत में फाईल लगाई थी। उक्त फाईल को उपखण्ड कार्यालय आबूपर्वत द्वारा रिजेक्ट करने का लिखित रूप से आधार बताते हुए भूमि शाखा के रिकॉर्ड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:28 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner